वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुदान हेतु झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा–06 में यथा गठित विभागीय अनुदान समिति की दिनांक–05.12.2023 को संपन्न बैठक की कार्यवाही।

राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक विद्यालय/स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय/प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालयों से वित्तीय वर्ष 2022–23 के अनुदान की स्वीकृति हेतु प्राप्त अपील आवेदनों (सूची संलग्न) की जांच कर निर्णय हेतु विभागीय अनुदान समिति की बैठक दिनांक–05.12.2023 को संपन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुएः–

उपस्थिति :–संलग्नक के अनुसार।

2. वित्तीय वर्ष 2022–23 की अनुदान की स्वीकृति हेतु प्राप्त अपील आवेदनों की जांच विभागीय अनुदान समिति के द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त विभागीय अनुदान समिति के द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः–

(i) वैसे प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय/स्थायी प्रस्वीकृत +2 उच्च विद्यालय (इंटरमीडिएट)/प्रस्वीकृत मदरसा एवं प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय, जिन्हें गत वर्ष के अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बंधक विलेख अनुपलब्ध रहने के कारण अनुदान अस्वीकृत किया गया था, उन संस्थानों से गत वर्ष के अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बंधक विलेख अपीलीय आवेदन के माध्यम से प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022–23 का अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

(ii) पूर्व की बैठक दिनांक–05.06.2023 तथा दिनांक–08.06.2023 में लिए गए निर्णय के आलोक में निर्गत विभागीय पत्रों के विरूद्ध संबंधित जिलों के उपायुक्त तथा क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं झारखंड अधिविद्य

परिषद्, रांची द्वारा अनुशंसित अधिकाँश प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालयों एवं अन्य कोटि के संस्थानों के मामले अपीलीय आवेदन के माध्यम से मंगाये गये, जिसमें प्रतिवेदित है कि विद्यालय में छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त वर्गकक्ष अथवा विभागीय अनुदान समिति के द्वारा किये गये आकलन के अनुरूप निर्धारित वर्गकक्ष उपलब्ध है, आवेदन के माध्यम से प्राप्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2022–23 का अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

(iii) वैसे संस्थानों, जिनके अपील आवेदन से स्पष्ट होता है कि विद्यालय मे छात्र संख्या के अनुपात में पर्याप्त वर्गकक्ष एवं भूमि उपलब्ध नहीं है तथा छात्र संख्या मानक से कम होने के कारण उन संस्थानों के अनुदान संबंधी दावा को अस्वीकृत करते हुए मामले को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

(iv) बैठक में वैसे मामले भी सूचीबद्ध किये गये जो प्रथम बार संज्ञान में लाये गये, जो अपील की श्रेणी में नहीं आतें है, को अविचारणीय मानते हुए मामले को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
अवर सचिव, मा0शि0
झारखंड, रांची।

(सच्चिदानन्द द्विवेन्दु तिग्गा)
सचिव,
झारखंड अधिविद्य परिषद,
राँची।

(कपिलदेव पंडित)
वित्त विभाग झारखण्ड, रांची
के प्रतिनिधि।
(सदस्य)

(सुनील कुमार)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखण्ड रांची।
(सदस्य सचिव)

(के0 रवि कुमार)
सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग, झारखण्ड रांची।
(अध्यक्ष)